



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251161
CG-DL-E-04012024-251161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945

No. 59]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2024

का.आ. 64(अ).— का.आ.सं. 4501(अ) के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 89/2023/फा.संख्या 500/पीएफ11/एस10(23चड.)/एफटी और टीआर-II(2), दिनांक 13.10.2023 में-

अधिसूचना संख्या 89/2023 को अधिसूचना संख्या 89क/2023 पढ़ा जाए।

[अधिसूचना संख्या 5/2024/ फा. सं. 500/पीएफ11/एस10(23चड.)/एफटी और टीआर-II(2)]

अपूर्व तिवारी, अवर सचिव